

प्रेषक,

एस0एस0 टोलिया,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : 8167/111(2)/18-15(सामान्य)/2018

7
C.E (Hd)/I.T (Head)

प्रमुख अभियन्ता
लो. नि. वि.

I.T
upload करें
016
03.01.18

(देवेन्द्र शाह)
अभियन्ता

लोक निर्माण विभाग-2

देहरादून: दिनांक : 31 दिसम्बर, 2018

विषय: लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत मोटर मार्गों/सेतुओं के निर्माण की योजना/प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु नीति का प्रख्यापन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत मोटर मार्गों/सेतुओं के निर्माण की योजना/प्रस्ताव तैयार किये जाने तथा लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभागीय वार्षिक आय-व्ययक में प्राविधानित बजट को विभिन्न योजनाओं/मदों में विभाजित किये जाने के उद्देश्य से सम्यक विचारोपरान्त एतद्वारा निम्नवत नीति तत्काल प्रभाव से लागू की जाती हैं :-

- (i) राज्य मार्गों, मुख्य जिला मार्गों एवं अन्य जिला मार्गों के मानकानुसार नवीनीकरण हेतु वर्तमान स्थिति के सापेक्ष लगभग 25% धनराशि पृथक से प्रत्येक वार्षिक बजट में प्राविधानित की जाय।
- (ii) सड़क सुरक्षा हेतु वार्षिक बजट के आकार की 5% एवं पुलों के निर्माण तथा रख-रखाव के लिये वार्षिक बजट के आकार की 15% धनराशि वार्षिक बजट में प्राविधानित की जाय।
- (iii) वार्षिक बजट की शेष धनराशि लगभग 55% नवनिर्माण एवं ग्रामीण मार्ग/हल्का वाहन मार्ग/वार्षिक अनुरक्षण के लिए प्राविधानित की जाय।
- (iv) राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थिति, भूगर्भीय संरचना तथा वन एवं पर्यावरण के दृष्टिगत मार्ग से 100 मीटर की ऊर्ध्वाधर (Vertical) दूरी पर स्थित ग्राम को मोटर मार्ग से स्वतः ही संयोजित माना जाय।
- (v) जिन ग्रामों/आबादियों को किसी न किसी मार्ग से सड़क संयोजकता पूर्व से ही सुलभ हो, उन ग्रामों/आबादियों को अतिरिक्त/दोहरी मार्ग संयोजकता सामान्यतः प्रदान न की जाय।
- (vi) राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुये 05 किमी० से अधिक लम्बाई के मोटर मार्गों को स्वीकृति हेतु द्वितीय चरण में प्रस्तावित न किया जाय, वरन् अधिक लम्बाई वाले ऐसे मोटर मार्गों को एक एक करके (One by one) विभिन्न चरणों में स्वीकृति प्रदान की जाय।
- (vii) ऐसे मार्गों को, जो कि राज्य मार्ग या अन्य जिला मार्ग की श्रेणी में नहीं है तथा जिनमें प्रतिदिन यातायात 400 भारी वाहन से कम है, को बी.एम./एस.डी.बी.सी. द्वारा न किया जाय।
- (viii) समस्त आबादी वाले भागों के मुख्य मार्गों में निर्माण हेतु edge to edge ब्लैक टॉप/इन्टरलॉकिंग सी०सी० टाइल्स अथवा Brick on Edge तथा पक्की नाली निर्माण का प्राविधान अवश्य रखा जाय।

- (ix) मुख्यमंत्री आन्तरिक सम्पर्क योजना के तहत 500 मी० से अधिक लम्बाई एवं 4.25 मी० से अधिक चौड़ाई के मोटर मार्गों तथा 20 मीटर से अधिक लम्बाई के सेतुओं के निर्माण हेतु मा० विधायकों की प्राथमिकता वाले प्रस्तावों को लिया जायेगा। 02 लेन से कम चौड़ाई वाले मार्गों को सी०सी० के स्थान पर इन्टरलॉकिंग टाइल्स से किया जाय, जो M-40 से कम नहीं होगी।
- (x) MORTH के परिपत्र संख्या : NH-15017/28/2018-P&M दिनांक 23.03.2018 के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में 3000 PCUs प्रतिदिन से अधिक परन्तु 8000 PCUs से कम यातायात होने पर Intermediate lane(5.50 m) का प्राविधान, 10000 से अधिक PCUs यातायात होने पर 02 लेन अर्थात् 07मी० कैरिज वे का निर्माण एवं 10000 से अधिक PCUs तथा 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक Traffic Growth पर 07 मी० कैरिज वे Paved Shoulder के साथ मार्ग निर्माण का प्राविधान किया जाय।
- (xi) नये मोटर मार्गों के लिए सामान्य अनुरक्षण कार्यों हेतु कार्य समाप्ति के **defect liability period** सहित 03 वर्ष तक के लिये अनुबन्ध में ही यह प्राविधान कर दिया जाए कि मोटर मार्गों का अनुरक्षण भी सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा प्रथम वर्ष हेतु कुल लागत का 0.5 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष हेतु कुल लागत का 1.00 प्रतिशत तथा तृतीय वर्ष हेतु कुल लागत का 1.5 प्रतिशत की दरों पर किया जाय। इस अवधि में सामान्य अनुरक्षण मद से कोई धनराशि आवंटित नहीं की जायेगी।
- (xii) पैदल/झूला सेतुओं के निर्माण में Carriage way की चौड़ाई 1.80 मी० तक सीमित रखी जाय। ग्रामीण भागों में नदी पर 02 किमी० से कम दूरी पर दूसरा सेतु निर्मित न किया जाय।
- (xiii) सामान्यतः Single lane में निर्मित होने वाले Steel bridges के अन्तर्गत 57 मी० स्पान तक Modular bridges का निर्माण किया जाय, जिन्हें कि भविष्य में आवश्यकता पडने पर Two lane अथवा किसी भी सीमा तक Multi lane में विस्तारित किया जा सके।
- (xiv) प्रदेश में रू० 10.00 करोड़ से अधिक लागत तथा 60 मी० से अधिक स्पान के सेतुओं को E.P.C. (Engineering Procurement Construction) Mode के माध्यम से करवाया जाय। विश्व बैंक परियोजनाओं के लिये यह प्राविधान उनकी सहमति पर ही लागू होंगे अन्यथा नहीं।
- (xv) लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत ऐसे निर्माण कार्यों, जिनकी वनभूमि की स्वीकृति विलम्ब से प्राप्त होने, स्थानीय स्तर पर विवाद होने या अन्य कारणों से श्रमिक/सामग्री की दरों में अत्यधिक वृद्धि होने के फलस्वरूप पूर्व स्वीकृत लागत में कार्य पूर्ण किया जाना सम्भव न हो, की पुनरीक्षित स्वीकृति को प्राथमिकता प्रदान की जाय।
2. कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-378/XXVII(2)/2018 दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय



(एस०एस० टोलिया)

संयुक्त सचिव

संख्या : 8167/111(2)/15(सामान्य)/2018 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
- 3- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
- 6- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 7- समस्त मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
- 8- समस्त अधीक्षण/अधिशाली अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
- 9- लोक निर्माण अनुभाग-1/3, उत्तराखण्ड शासन।
- 10- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 11- कार्यालय प्रति/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0एस0 टोलिया)
संयुक्त सचिव